

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2048) श्रीफूलसिंह बरैया

छतरपुर जिले में वर्ष 2023 से फरवरी 2025 तक निम्नानुसार जिला आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गेहूँ, चावल, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन को जप्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की गई:-

क्र०	जप्तीकर्ता अधिकारी	जप्ती दिनांक	जप्त सामग्री	निराकरण	रिमाक
1	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	3	4	5	6
1	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	19.03.23	चावल- 208.20 क्विंट ट्रक क्रमांक CG04ML4019	अनावेदको द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विधि की मंशा के अनुरूप होने से स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा सामग्री मुक्त की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।	न्यायालयीन कार्यवाही में अपराध प्रमाणित नहीं होने से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।
2	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	28.02.23	गेहूँ- 182 क्विंट ट्रक क्रमांक UP78CT6917	प्रश्नवीन गोदाम जे.व्ही.एस. योजना का अनुबंध घटना दिनांक के पूर्व ही समाप्त हो जाने के कारण गोदाम से जप्त गेहूँ शासकीय प्रमाणित नहीं पाये जाने से जप्त शुदा सामग्री मुक्त की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।	न्यायालयीन कार्यवाही में अपराध प्रमाणित नहीं होने से अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	19.07.24	चावल- 145 क्विंट ट्रक क्रमांक MP09MH7174	प्रकरण कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रचलन में है।	प्रचलन में है।
4	थाना प्रभारी, कोतवाली	31.08.24	डीजल- 1600 लीटर पिकअप क्रमांक MP16ZE7628	प्रकरण कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रचलन में है।	प्रचलन में है।
5	थाना प्रभारी, जुझारनगर	13.02.25	डीजल- 600 लीटर पिकअप क्रमांक MP16ZD4462	एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र० 0028 दिनांक 14.02.202) अन्य कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रचलन में है।

Chy

अनुमान अतिरिक्त, जिला आपूर्ति विभाग, छतरपुर जिला, 18/3/2025

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2048 तारांकित का परिशिष्ट ब

क्रमांक	सामग्री	अवधि	मूल्य रूपए में प्रति किलो के मान से
1	2	3	4
1	शक्कर	अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक	39.87
		मई 2022 से अक्टूबर 2022 तक	38.47
		नवंबर 2022 से मई 2023 तक	38.38
		जून 2023 से अप्रैल 2024 तक	40.87
		मई 2024 से सितम्बर 2024 तक	41.82
		अक्टूबर 2024 से निरन्तर	42.60
2	नमक	वर्ष 2022 से (डीएफएस)	11.10
		सितम्बर 2022 से मई 2024 तक (आयोडीन)	8.33
		जून 2024 से (डीएफएस)	12.35
		जून 2024 से (आयोडीन)	9.35


 अनुभाग अधिकारी,
 खाद्य, सार्वजनिक आपूर्ति एवं
 व्यवसाय, दूरदर्शन विभाग,
 मन्त्रालय